न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 45/2018/(2018/00045) जिला–नागौर

लक्ष्मीनारायण जाटव पुत्र श्री धन्नालाल आयु 30 वर्ष निवासी 817/28 अजमेरी भवन, आनासागर घाटी गंज, अजमेर हाल तोषीणा तहसील डीडवाना जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. अर्जुनराम पुत्र श्री मेवाराम आयु 52 वर्ष
2. चन्दाराम पुत्र श्री बालुराम आयु 47 वर्ष
   जातियान बावरी, निवासीगण तोषीणा तहसील डीडवाना जिला नागौर।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत तोषीणा, तहसील डीडवाना जिला नागौर।
4. पटवारी, पटवार हलका तोषीणा तहसील डीडवाना जिला नागौर।
5. खेताराम पुत्र श्री पन्नाराम आयु 59 वर्ष जाति बावरी निवसी पिपरावली ढाणी, दोलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर।
6. तहसीलदार, तहसील कार्यालय डीडवाना जिला नागौर।
7. उप पंजीयक छोटी खाटू, कार्यालय छोटी खाटू तहसील डीडवाना जिला नागौर।

–––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी डीडवाना दिनांक 6–6–2016 प्रकरण संख्या 4/2015 एवं ग्राम पंचायत तोषणा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1676 दिनांक 22–6–2015 ग्राम पंचायत तोषिणा

———

उपस्थित– 1. श्रीमती सविता चौहान, अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय

दिनांकः 28–03–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा ग्राम तोषीणा तहसील डीडवाना स्थित विवादित आराजियात खसरा नम्बर 1452/1254 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा का बेचान अपीलार्थी को दिनांक 20–4–2014 को राशि रूप्यें 1,40,000 प्रतिफल लेकर विक्रय किया। अपीलार्थी को विक्रय का इकरार कर इकरारनामा स्टाम्प खरीद कर अपीलार्थी के हक में कर साक्षियों के समक्ष अपने अंगूठा निशानी कर सौंप दिया। तत्पश्चात इसी आराजी का बेचान प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के हक में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18–5–2015 को कर दिया जिसकी पालना में सरपंच ग्राम पंचायत तोषीणा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1676 दिनांक 22–6–2015 स्वीकृत कर दिया। सरपंच ग्राम पंचायत तोषीणा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 6–6–2016 द्वारा अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी। उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के उक्त आदेश दिनांक 6–6–2016 से व्यथित होकर अपीलर्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगण के अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में दिनांक 6–6–2016 को पारित किया गया। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व जरिये नोटिस अथवा अन्य किसी प्रकार से अपीलार्थी के अधिवक्ता को नहीं दी गई। अपीलार्थी द्वारा जानकारी प्राप्त करने हेतु कई बार प्रयास किया गया परन्तु पत्रावलियां न्याय आपके द्वार अभियान के पश्चात अस्तव्यस्त रहने से जानकारी नहीं हो सकी। अन्त में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेशिका की नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 17–1–2018 को पेश करने पर प्रमाणित प्रति दिनांक 19–1–2018 को जारी की गई तब प्रथम बार उक्त आदेश की जानकारी हुई। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश की जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक

कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अपीलांट अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा अपीलार्थी के हक में एक इकरारनामा दिनांक 20–4–2015 के विक्रय विलेख दिनांक 16–6–2015 के मध्यनजर निरस्त किये जाने योग्य है साथ ही अपीलार्थी द्वारा दीवानी न्यायालय में एक वाद पेश किया गया है उसके अंतिम निर्णय तक राजस्व खेत के इन्द्राजात पुनः खेताराम के नाम बहाल करने के आदेश दिये जाकर दीवानी न्यायालय के अंतिम निर्णय अर्थात मूल न्यायालय तत्पश्चात अपील न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार इन्द्राजात किये जाने के निर्देश दिये जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की प्रथम अपील में दर्ज तथ्यों की जानबूझकर अनदेखी की है तथा अपीलार्थी के हक में केवल इकरारनामा होने के तथ्यों की ओर ध्यान दिया है मगर अपीलार्थी के हक में इकरारनामा विक्रय विलेख दिनांक 16–6–2015 निष्पादित होकर पंजीयन होने के तथ्य को नजर अन्दाज किया है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपील न्याय आपके द्वार अभियान में सुनवाई हेतु पेश होने बाबत कोई नोटिस अपीलर्थी एवं उसके अधिवक्ता को व्यक्तिगत अथवा विधिवत तामील के जरिये नोटिस से सूचित व तामील नहीं हुआ व अपलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अधिकार उपलब्ध नहीं कराया गया व अपीलार्थी के अधिकारों का हनन हुआ है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि सरपंच ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण किये जाने की शक्तियां राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के आदेश क्रमांक प–6(1) राज–6/2014/पार्ट–1 जयपुर दिनांक 6–5–2015 के जरिये उक्त

शक्तियां ग्राम पंचायत के स्थान पर तहसीलदार को राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 के दौरान शक्तियां ग्राम पंचायत की बजाय तहसीलदार को प्रदत्त कर दी गई थी फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा पर्याप्त अधिकार नहीं होते हुए भी दिनांक 22–6–2015 को अर्थात दिनांक 6–5–2015 के बाद उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करने में त्रुटि की है।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी खेताराम ने अपनी खातेदारी हक की आराजी का हस्तांतरण का ईकरारनामा दिनांक 20–4–2015 को अपीलार्थी के हक में निष्पादित कर साक्षीगणों के हस्ताक्षर करवाकर मूल इकरारनामा अपीलार्थी को सौंपा उसके पश्चात अपीलार्थी के साथ छल कपट के जरिये प्रत्यर्थी संख्या 5 को बिना अधिकार के प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के हक में हस्तांतरण का विक्रय विलेख अपने आप में बिना अधिकार व विवादित व शून्य प्रभावी होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजियात बाबत एक दीवानी दावा भी विचाराधीन है। साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 5 खेताराम के खिलाफ प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलार्थी के हक में दिनांक 20–4–2015 के ईकरारनामा व तत्पश्चात दिनांक 16–6–2015 के पंजीयन शुदा विक्रय विलेख के आधार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया है जिसमें प्रत्यर्थीसंख्या 5 खेताराम द्वारा दिनांक 20–4–2015 के इकरारनामा निष्पादन के तथ्य व तत्पश्चात विक्रय विलेख दिनांक 16–6–2015 के तथ्यों को स्वीकार किया गया है व दीवानी वाद भी खेताराम ने इकरारनामा दिनांक 20–4–2015 व विक्रयविलेख दिनांक 16–6–2015 के तथ्यों को स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में दीवानी वाद के अंतिम निर्णय होने तक व खातेदारी के खेत पर अपीलार्थी का कब्जा होने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व सरपंच ग्राम पंचायत तोषीणा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–2015 एवं सरपंच ग्राम पंचायत तोषीणा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1676 दिनांक 22–6–2015 निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित है। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता को न्यायालय हाजा द्वारा बार–बार आवाज लगवाई गई। साथ ही निर्देश दिये गये कि यदि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता यदि लिखित में बहस पेश करना चाहते है तो दिनांक 28–3–2022 को निर्णय लिखवाये जाने से पूर्व प्रस्तुत कर सकते है। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा निर्णय लिखाये जाने तक कोई लिखित बहस प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनकर निर्णय पारित किया गया।

मैंने अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई एक पक्षीय बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा ग्राम तोषीणा तहसील डीडवाना में स्थित अपने हक हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 1452/1254 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा का बेचान 1,40,000/– रूपये प्रतिफल लेकर अपीलार्थी को जरिये इकरारनामा कर सौंप दिया। तत्पश्चात दिनांक 18–5–2015 को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के हक में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विवादित आराजियात का बेचान कर दिया जिसकी पालना में सरपंच गाम पंचायत तोषीणा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1676 दिनांक 22–6–2015 प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम स्वीकृत कर दिया। सरपंच ग्राम पंचायत तोषीणा के उक्त नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने आदेश दिनांक 6–6–2016 द्वारा अपील खारिज कर दी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि विवादित आराजियात बाबत एक दावा सिविल न्यायलय में विचाराधीन है। साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा विवादित आराजियात का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान दिनांक 18–5–2015 को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में कर दिया। उक्त विक्रय पत्र की प्रति अधीस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विक्रय पत्र एवं अपीलार्थी के पक्ष मे निष्पादित इकरारनामे की जांच किये किस आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की है। साथ ही दिनांक 6–6–2016 को आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को जरिये नोटिस कोई सूचना नहीं दी गई एवं न ही उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान ही किया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–2016 एवं सरपंच ग्राम पंचायत तोषीणा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1676 दिनांक 22–6–2015 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजियात से संबंधित दोनों पक्षों को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर